अध्याय – III
अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायती राज विभाग

3.1 सरकारी राशि की कपटपूर्ण निकासी

बिहार वित्तीय नियमावली व बिहार पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायत, सिंघी के पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा लेन–देनों को बिना रोकड़बही में दर्ज किए बैंक से ₹ पाँच लाख आहरित कर दुर्विनियोजन किया गया।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) का नियम 452 प्रावधान करता है कि सरकारी राशि के व्यय हेतु उत्तरदायी प्रत्येक पदाधिकारी को यह देखना चाहिए कि सभी वित्तीय लेन–देनों जिनसे वह संबंधित है, के लेखाओं का समुचित संधारण तथ्यों के विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ संतोषप्रद एवं विश्वसनीय रूप से दर्ज किया गया है। आगे, बिहार पंचायत राज अधिनियम (बि.पं.रा.अ.), 2006 सह–पठित बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार व कर्तव्य) नियमावली, 2011 यह प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) के वित्तीय व कार्यकारी प्रशासन का सामान्य उत्तरदायित्व मुखिया के पास होगा एवं पंचायत सचिव, ग्रा.पं. का कार्यालय प्रभारी होगा तथा इसके समस्त कार्यों एवं प्रकार्यों का निष्पादन मुखिया के निर्देश के अंतर्गत करेगा।

पंचायत समिति, दुल्हिनबाजार के अधीन ग्रा.पं. सिंघी के अभिलेखों की जाँच (जून 2015) में यह पाया गया कि ग्रा.पं. सिंघी द्वारा तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) अनुदान निधि के लिए संधारित बैंक खाते[22] में से पंचायत सचिव (पं.स.) एवं मुखिया के संयुक्त हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से ₹ छह लाख की निकासी (मई 2012 से अप्रैल 2013) की गयी। हालाँकि, रोकड़बही एवं योजना पंजी में मात्र ₹ एक लाख की राशि की ही पं.स. द्वारा प्रविष्टी एवं मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया तथा शेष ₹ पाँच लाख की राशि अलेखांकित रही (जुलाई 2015)।

आगे, 20 अक्टूबर 2013 को ग्रा.पं. द्वारा संधारित ते.वि.आ. अनुदान निधि के रोकड़बही का अंतशेष ₹ 14.80 लाख था जबकि, 28 अक्टूबर 2013 को बैंक खाते से ₹ पाँच लाख के अलेखांकित निकासी के समायोजन हेतु रोकड़बही का प्रारंभिक शेष ₹ 9.80 लाख दर्शाया गया (21–27 अक्टूबर 2013 के दौरान कोई लेन–देन नहीं पाया गया)। इस प्रकार, ग्रा.पं. सिंघी के पं.स. व मुखिया ने बि.वि.नि. तथा बि.पं.रा.अ. 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा ग्रा.पं. के खाते से आहरित ₹ पाँच लाख का दुर्विनियोजन किया।

ग्रा.पं. सिंघी के मुखिया ने जवाब दिया (जून 2015) कि पूर्व पंचायत सचिव ने चेक पर जाली हस्ताक्षर कर बैंक से राशि की निकासी किया तथा राशि का गबन कर लिया। प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.), बिहार सरकार ने जवाब दिया (सितंबर 2015) कि पंचायत सचिव के विरूद्ध साबित गबन के लिए प्राथमिकी दर्ज (अगस्त 2015) किया गया है।

---

[22] *केनरा बैंक खाता संख्या–0287101020567; चेक संख्या–559287 (30 मई 2012), 559288 (30 मई 2012), 559289 (27 जून 2012) एवं 559290 (27 जून 2012) प्रत्येक की राशि ₹ एक लाख तथा ₹ दो लाख का चेक संख्या–559293 (22 अप्रैल 2013)*

3.2 सोलर स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन पर अधिक एवं परिहार्य व्यय

पंचायत समिति, बेगूसराय में राज्य क्रय संगठन द्वारा निर्धारित दर से उच्चत्तर दर पर खुले बाजार से 339 सौर स्ट्रीट लाईटों का क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 47.43 लाख का अधिक एवं परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) 2005 के नियम 129 के अंतर्गत बिहार सरकार ने, बिहार के सभी जिलों में सौर उर्जा उपस्करों की आपूर्ति/अधिष्ठापन में एकरूपता लाने हेतु बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) को राज्य क्रय संगठन (रा.क्र.सं.) नामित किया (फरवरी 2007)। तत्पश्चात्, बेलट्रॉन के स्थान पर बिहार नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) को रा.क्र.सं. नामित किया गया (सितंबर 2012) तथा यह सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों एवं उप–विकास आयुक्तों आदि को संचारित की गई थी। रा.क्र.सं. ने सोलर स्ट्रीट लाइटों के तकनीकी विशिष्टियों[23] तथा क्रय की दर को (फरवरी 2009) संचारित किया ।

पंचायत समिति बेगूसराय के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2015) में यह पाया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (च.रा.वि.आ.) के अंतर्गत उपलब्ध निधि से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से 339 सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय (जनवरी 2010 से मार्च 2013) किया गया था। आगे उपरोक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा तथा रा.क्र.सं. द्वारा जारी दरों[24] एवं विशिष्टियों के साथ उनके मिलान में यह पाया गया कि रा.क्र.सं. के द्वारा निर्धारित समान विशिष्टियों वाले सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय प्रति इकाई ₹ 43,700 की बाजार दर पर किया गया जबकि वर्ष 2009–13 के दौरान रा.क्र.सं. द्वारा जारी किया गया प्रति इकाई दर ₹ 29,352 से ₹ 30,217 (पाँच वर्षों की वारंटी अवधि सहित) के बीच था। इस प्रकार, 2009–13 के दौरान पं.स. बेगूसराय द्वारा 339 सोलर स्ट्रीट लाईटों के क्रय एवं अधिष्ठापन पर ₹ 47.43 लाख का अधिक व परिहार्य व्यय किया गया।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि., बिहार सरकार ने जवाब दिया (सितंबर 2015) कि पं.स. बेगूसराय के तत्कालीन प्र.वि.प. के खिलाफ आरोप पत्र प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को अनुमोदनार्थ अग्रसारित किया गया है।

---

[23] *सोलर पैनल – 75 वाट, बैटरी – 12 वोल्ट एवं 75 ए.एच., पोल – 4.5 मीटर लंबी, सी.एफ.एल.–11 वाट*

[24] *सितंबर 2009 से दिसंबर 2011 के दौरान पाँच वर्षों की वारंटी अवधि सहित सोलर पैनल – 75 वाट, बैटरी – 12 वोल्ट एवं 75 ए.एच., पोल – 4.5 मीटर लंबी, सी.एफ.एल. – 11 वाट से युक्त सोलर स्ट्रीट लाईट की प्रति इकाई दर – ₹ 29,352 एवं जनवरी 2012 से जून 2013 के दौरान – ₹ 30,217*